

भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम पेन कार्ड सं० ई मेल संख्या

दूरभाष न० आधार कार्ड न० बैंक खाता सं०

बैंक का नाम बैंक शाखा IFSC code No.....

संलग्नक - 'क'

उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था : सामान्य, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं तथा अनाथ पात्रों हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र

भाग -1

पूर्व वर्ष में संस्था मुख्यालय की नामावली क्रम संख्या में छात्रवृत्ति सहायता रु० /- प्राप्त की है।

1. विद्यार्थी का नाम : विद्यार्थी की जन्म तिथि.....

2. उत्तीर्ण कक्षा, एवं वर्ष : कक्षा..... वर्ष.....

3. उत्तीर्ण प्रतिशत 4. वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा, तथा वर्ष : कक्षा..... वर्ष.....

5. कोर्स की अवधि : 1/2/3/4/5 वर्षीय (वर्ष..... से तक)।

6. कालेज/संस्था का नाम व पूरा पता :.....

7. पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा का नाम : पूर्व सैनिक..... सैनिक विधवा.....

8. पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा की मृत्यु की तारीख : पूर्व सैनिक..... सैनिक विधवा.....

9. पूर्व सैनिक का विवरण :- आर्मी नम्बर :..... पद (रैंक)..... भर्ती होने की तिथि :.....

सेना निवृत्त होने की तिथि :..... रेजीमेन्ट :..... पुर्नियोजित होने की तिथि

विभाग का नाम मासिक वेतन भत्ते सहित

10. पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा की मासिक आय :- (क) पेंशन : (ख) अन्य स्रोतों से.....

11. पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा का स्थाई पता :- ग्राम..... पोस्ट.....

तहसील जिला राज्य उत्तराखण्ड.....

12. मैं, प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त सभी तथ्य सही हैं। मैंने 2 पात्रों की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है। मैंने अन्य संस्थान/विभाग (के०सै०बोर्ड, समाज कल्याण/शिक्षण संस्थान/अन्य जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन नहीं किया है तथा किसी भी संस्थान/विभाग से कोई आर्थिक सहायता/छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ। मेरे/मेरी पुत्र/पुत्री का विवाह नहीं हुआ है। मेरे द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन भरे जाने तथा तथ्यों की त्रुटि पाये जाने पर मुझे छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता से वंचित किया जाय। मेरे द्वारा अपने पात्र की अंकतालिका, पात्र के नाम तथा जन्मतिथी में कटिंग/ओवर राईटिंग नहीं की गयी है। मेरे पुत्र/पुत्री की जन्मतिथी में 1 वर्ष से अधिक का अन्तर नहीं है। उक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु मेरे को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

दिनांक : (रु० 1/- का रशीदी टिकट जहां लागू है। पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा के हस्ताक्षर।.....

भाग -2

नाम

(वर्तमान में अध्ययनरत कालेज/संस्थान/विद्यालय द्वारा सत्यापित)।

13. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षण संस्थान/विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार उक्त विवरण सत्य है।

दिनांक : वर्तमान में अध्ययनरत शिक्षण संस्थान के मुखिया के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर

भाग-3

14. मेरे द्वारा पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सार्टिफिकेट, पहिचान पत्र की मूल प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का व्यक्तिगत तौर पर अवलोकन किया गया तथा सम्पूर्ण विवरण मिलान कर लिया गया और आवेदन के सभी कथन सत्य हैं।।

15. आवेदक इस जिला सैनिक कल्याण/जिले का का निवासी है।

दिनांक : जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर।

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है :-पिछली पास की गयी कक्षा की अंकतालिका। कक्षा 10 की अंकतालिका। पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा की डिस्चार्ज बुक का प्रथम तथा परिवार विवरण का पेज/आश्रित प्रमाण पत्र। पूर्व सैनिक/सैनिक विधवा का पहचान पत्र। पुर्नियोजित पूर्व सैनिक का पुर्नियोजन प्रमाण पत्र तथा वेतन भत्ते का विवरण।